श्री अजय मारू : आप बताएं कि लास्ट सर्वेक्षण कब हुआ?

श्री शीश राम ओला : आप बोलेंगे तो मैं बैठ जाता हूं, आप खूब बोलिए। इनको बोलने दीजिए, मैं फिर बाद में बोलूंगा।...**(व्यवधान)**... श्रीमान जी, आपको बात सुननी चाहिए, मैंने भी सुना है।

श्री अजय मारू : आपकी पूरी बात सुनने के बाद ही प्रश्न किया है।

श्री शीश राम ओला : आपकी मरजी, मैं आपको मना नहीं कर सकता, आपका अधिकार है। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि जियोलोजिकल सर्वे एक बहुत पुराना विभाग है जो 150 वर्ष पुराना है और आज उसमें अच्छे साइंटिस्ट हैं। यह विभाग आधुनिक तरीके से उसकी जांच कर रहा है, आधुनिक तरीके से सर्वे कर रहा है। यह कोई एक स्टेट में नहीं, पूरे भारत में, समुद्र में, जमीन पर, पहाड़ पर सब जगह सर्वे कर रहा है, जहां भी कहीं कुछ मिलता है, वह राष्ट्र को बताता है। यह उसका कर्तव्य है, उसका दायित्व है, उसका फर्ज है।

इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि सर्वे कब हुआ था। सर्वे तो चल रहा है, हमेशा हीं चलता रहता है। दूसरा यह विचार चर्चा में आया कि अमुक कारखाना है, अभी सिन्हा साहब नहीं हैं, उसके बारे में हमारे पास माइनिंग विभाग में अपील आई। श्री दीपांकर मुखर्जी साहब, आप सुन लीजिए। खान विभाग ने उसको नहीं माना है, राज्य सरकार की बात को नहीं माना है। उसको वापिस आदेश दिये हैं, राज्य सरकार से निवेदन किया है कि इस पर पुनः विचार करके रिन्यु किया जाये। मैं आपका अधिक समय नहीं लेते हुए, यह कह सकता हूं कि होदा समिति में करीब 23-24 माननीय सदस्य हैं, जहां पर आयरन ओर ज्यादा है, दूसरे खनिज हैं, उन सब राज्यों के खनिज सचिव भी हैं, भारत सरकार के खनिज सचिव और दूसरे अधिकारी भी हैं और उनकी व्यापाक रिपोर्ट आने के बाद उसको देखा जायेगा। आपके समक्ष लाया जायेगा और उस पर जो निर्णय आप लोग मिलकर करेंगे, उसको स्वीकार किया जायेगा। हम हर कार्य राष्ट्रहित में करना चाहते हैं, हम राष्ट्र को विकसित करने के लिए, राष्ट्र को लाभ देने के लिए कृत-संकल्प हैं और रहेंगे। धन्यवाद।

MOTION REGARDING JOINT COMMITTEE OF THE HOUSES ON THE SCHEDULED TRIBES (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) BILL, 2005

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI P.R. KYNDIAH): Sir, I move:

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to recognise and vest the forest rights and occupation in forest land in forest dwelling Scheduled Tribes who have been residing in such forests for generations but whose rights could not be recorded and to provide for a framework for recording the forest rights so vested and the nature of evidence required for such recognition and vesting in respect of forest land and resolves that the following Members of the Rajya Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee : -

1. Shri Moolchand Meena
2. Shri Rishang Keishing
3. Dr. Radhakant Nayak
4. Shrimati Brinda Karat
5. Shri Devdas Apte
6. Shri Birabhadra Singh
7. Shri Ravula Chandra Sekar Reddy
8. Shri N. Jothi
9. Shri Mangani Lal Mandal
10. Shri Nand Kishore Yadav

The question was put and the motion was adopted.

GOVERNMENT BILLS

The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2005

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI A. RAJA): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Wild Life (Protection) Act, 1972.